

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 04.09.2023**

**नाबालिग लड़की को बहला फसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त रामसमुझ उर्फ बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कोतवाली मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता की भाभी द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रामसमुझ उर्फ बबलू पुत्र शिवकुमार निवासी ग्राम धुसैनिया थाना छावनी जनपद बस्ती।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-466/23 धारा 363, 366, 376 भादवि 3/4 पाक्सो ऐक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

01. उ0नि0 शशांक मौर्या मय टीम थाना को0 मनकापुर, गोण्डा

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 04.09.2023**

**गैंगेस्टर ऐक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर ऐक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना इटियाथोक पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 04.09.2023 को थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्रभ्रमण के दौरान गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त राजेन्द्र कुमार गौतम को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त थाना धानेपुर में पंजीकृत मु0अ0स0 227/2023 धारा 3(1)यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट में वांछित था अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. राजेन्द्र कुमार गौतम पुत्र रामकुमार गौतम उर्फ राजकुमार गौतम निवासी मध्यनगर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-227/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार सरोज मय टीम थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 04.09.2023**

**गौवध निवारण अधि० का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पशु क्रूरता अधिनियम में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए गये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु०अ०सं०-213/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 10.06.2023 को थाना तरबगंज क्षेत्र के अन्तर्गत गोवंश से लदा एक ट्रक बरामद हुआ था। जिसमें उक्त अभियुक्त वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. दहन पुत्र हनीफ निवासी ग्राम शेखपुर जाफर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं० 213/2023 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ०नि० संदीप वर्मा मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 04.09.2023**

**नाबालिग लड़की को बहला फसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त मंगरे उर्फ अली हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कौडिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना कौडिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. मंगरे उर्फ अली हसन पुत्र चवन्नी उर्फ शहबान अली निवासी ग्राम बिरवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-275/23 धारा 363, 376(2)(N) भादवि 5(L) 6 पाक्सो ऐक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

01. उ०नि० दिलीप कुमार सिंह मय टीम थाना कौडिया, गोण्डा।